

26/10/21

प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021

"प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021" के अन्तर्गत न्यायालय में विवादाधीन प्रकरणों के निस्तारण मिशन होने से पर्याप्त समिति भूपालदास को आप पंचायत, कामडखेडा में आयोजित शिविर दिनांक 26/10/2021 में पत्रावली प्रस्तुत हुई पत्रावली का अवलोकन किया/अपार्थी सं. 6 को पॉल ले जाने से परकीण अपार्थी ने आदेश 7 नियम 11 दिनांक 24/9/21 को प्रस्तुत किया, मामला रिकॉर्ड तारीख की आरीम्प्यात की पत्थरादी का है, अतः प्राथम पत्र 7(ii) अर्थात् किया जाता है। प्राथमिका ने स्वयं की गाम कामडखेडा में स्थित आ. सं. 1062 रकबा 0.07 है, आ. सं. 1156 रकबा 0.05 है, आ. सं. 132 रकबा 0.55 है, आ. सं. 1326 रकबा 0.22 है। भूमि का अन्वयण को भूमि के माध होने, सीमा निश्चानात नहीं होने इत्यादि के कारण विवाद होने से पत्थरादी कलम का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात एक पत्रावली से शिविर स्थल पर मौका स्थिति की जानकारी ली एक पत्रावली ने बताया कि मौके पर सीमा निश्चानात नहीं होने पत्थरादी को जाना उचित है। प्राथमिका प्राथम पत्र अन्तर्गत चार 128 स्वीकार किया जाकर प्राथमिका गाम कामडखेडा में स्थित आ. सं. 1062 रकबा 0.07 है, आ. सं. 1156 रकबा 0.05 है, आ. सं. 132 रकबा 0.55 है, आ. सं. 1326 रकबा 0.22 है। भूमि की पत्थरादी को जाने हेतु तहसीलदार भूपालदास को 500 रुपये शुल्क पर मौका कमिशन नियुक्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि अपार्थी सं. 6 को पॉल ले जाने से उधेके वारिस को सूचित कर, उधेके भूमि पर कोई विवाद न हो, अन्य किसी न्यायालय में वाद विवादाधीन न हो एवं मौके पर पत्थरादी नहीं हो की जानकारी करने के उपरान्त ही उभयपक्ष को सूचित

28  
प. नारायण



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

कर शैनों परी की मीपूदारी में आपने मूलक में  
सीमांकन के बीम गठित कर चारों दिशाओं को सुरक्षा  
पथरबादी की कार्यवाही करें। इस आशय काका तहरीर  
पारी है, फावली केवल शुमार होकर मंजूर से काम  
की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/प्र0गां0सं0अ0 2021/प.( 11-2021)

दिनांक :-26.10.2021

निमित्त,

तहसीलदार  
भूपालसागर

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. रूपलाल पिता भारमल गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. उदिबाई पुत्री भारमल गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
3. तुलछिबाई पुत्री भारमल गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. रामलाल पिता भारमल गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
5. शंकरी पुत्री भारमल गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
6. लालु पिता माना गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
7. मोहन पिता माना गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
8. कालु पिता तेजा गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरु पिता जगु गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. ठाकरू पिता सोराम गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
3. अमरा पिता सोराम गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. मोहन पिता सोराम गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
5. छोगा पिता सोराम गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
6. गंगा पिता चुन्ना गाडरी नि. कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 11/2021

--: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कानरखेड़ा पटवार हल्का कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर में स्थित आ. सं. 1062 रकबा 0.07 है., आ0स0 1156 रकबा 0.05 है., आ0स0132 रकबा 0.55 है. आ.सं. 1326 रकबा 0.22 है. कुल किता 4 रकबा 0.89 है. की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर एवं अप्रार्थी संख्या 6 के फौत हो जाने से उसके वारिसान को सूचित कर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।



प्रार्थीगण  
श्रीमती भावना सिंह  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (राज.)